

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23042024-253820  
SG-DL-E-23042024-253820असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 2, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 25
No. 127]	DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 2, 1946	[N. C. T. D. No. 25

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIसहकारिता विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 19 अप्रैल, 2024

फा.सं. 47/नीति/आरसीएस/2012/243/सीडी.000181973/137,—दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम, 2004 की संख्या 03) की धारा 114 की उप-धारा (1) तथा (2) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 45 (घ) की उप-धारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, एतद् द्वारा श्री जी. एस. मीणा, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) को दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के सदस्य (प्रशासनिक) के रूप में (04 माह की अवधि तक या नए प्रशासनिक सदस्य के नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो) नियुक्त किया जाता है और इस नियुक्ति के पश्चात वही नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी जिन नियम व शर्तों पर पूर्व में कार्य कर रहे थे।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
ए. के. सिंह, पंजीयक सहकारिता समितियां

**OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES****NOTIFICATION**

Delhi, the 19th April, 2024

**F. No. 47/Policy/RCS/2012/243/CD.000181973/137.**—In the exercise of powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 114 of The Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act No. 03 of 2004) and sub-section (b) of Section 45 (D) of the Government of National Capital territory of Delhi (Amendment) Act, 2023, Hon`ble Lt. Governor of Delhi hereby appoints Sh. G. S. Meena, IAS (Rtd.) as Member (Administration) of Delhi Co-operative Tribunal (by a period of 4 months or till new Administrative Member is appointed, whichever is earlier) on the same terms & conditions that he had previously been working on till such period.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Registrar Cooperative Societies